समाचार-प्रकाषनार्थ:-

नेषनल लोक अदालत 14 मई को होगी आयोजित

निगम के करो की बकाया राषि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि

रतलाम 29 अप्रैल । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु आज ़14 मई 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि

रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (व्दम ज्पउम ॅमजजसमउमदज) ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2021-22 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 14/05/2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 14 मई 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

नगर निगम के विभिन्न करों से 14.50 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 29 अपै्रल । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास षाखा, बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 28 व 29 अप्रैल को कुल राषि रूपये 14,50,245/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 28 व 29 अप्रैल को संपत्तिकर कार्यालय 538455, वसूली दल 205890 कुल 744345, जलकर कार्यालय से 417660, वसूली दल 103140 कुल 520800, स्पॉट फाईन 18500, लायसेंस 47160, दुकान-गुमटी किराया कार्यालय 17304, वसूली दल 48436 कुल 65740, लीजरेंट 53700 इस तरह कुल राषि रूपये 14,50,245/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

श्री एम.के. जैन व श्री यूसुफ मंसूरी सेवा निवृत्त

रतलाम 29 अप्रैल । नगर निगम प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री एम.के. जैन व ड्रायवर श्री यूसुफ-अहमद नूर मंसूरी की अधिवार्शिकी आयु पूर्ण होने पर निगम के विकास षाखा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाव-भीनी विदाई दी गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपने उद्बोधन में श्री एम.के. जैन व ड्रायवर श्री यूसुफ-अहमद नूर मंसूरी द्वारा अपने सेवाकाल में किये गये कार्यो प्रषंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर श्री एम.के. जैन व ड्रायवर श्री यूसुफ-अहमद नूर मंसूरी को साफा बांधकर व षाल-श्रीफल तथा प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान किया गया।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री सत्यप्रकाष आचार्य, उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, कार्यालय अधीक्षक श्री जगदीष पांचाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह सहित निगम अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन श्री गोपाल झालीवाल ने किया व आभार श्री ए.पी. सिंह ने माना।

गंदगी करने पर काकाश्री फुटवियर सील

कचरा, गंदंगी व अतिक्रमण करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 29 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 29 अप्रैल को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया साथ ही काकाश्री फुटवियर को सील किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार कचरा एवं गंदगी करने पर गोविन्द, षिवषंकर, रईस पर 500-500, संजय पर 300 व अब्दुल पर 250 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।
स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देषन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

29 अप्रैल गुरूवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 253 ट्रीप
100 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा
रतलाम 29 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 29 अप्रैल षुक्रवार को 100 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
29 अपै्रल षुक्रवार को डम्पर से 24715 किलो, टेªक्टर से 3440 किलो, मैजिक सूखा कचरा 49935 किलो, मैजिक गीला कचरा 23455 किलो इस तरह कुल 100803.2 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

19 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा
दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन
बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त
रतलाम 29 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में

प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 29 अप्रैल को प्रातः 18 व दोपहर में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

29 अप्रैल षुक्रवार को झोन क्रमांक 1 में विजय-षांतिलाल, उमेष-प्रहलाद, बादल-दिलीप, विजय-फुलचन्द, विजय-सुरेष, अजय-विनोद, विध्याबाई पति सुमन, कुलदीप-रामप्रसाद, निलेष-महेष, झोन क्रमांक 2 में रवि-सुरेष, रेखाबाई पति जगदीष, इन्द्राबाई पति जगदीष, राजेष-रामप्रसाद, राजेन्द्र-अर्जून, झोन क्रमांक 3 में मनीश-बसंत, कांताबाई पति बसंत, रेखाबाई पति बाबुलाल, दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 3 में दयाराम-कालु इस तरह 19 कर्मचारियों द्‌वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रिकालिन सफाई के 13 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 29 अप्रैल । षहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्‌वारा 28 अप्रैल गुरूवार को निरीक्षण किये जाने पर रात्रिकालीन सफाई के 13 कर्मचारियों द्‌वारा बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

28 अप्रैल गुरूवार को रात्रिकालीन सफाई के कर्मचारी राजा-कैलाष, पंकज-फिरोज, दीपक-पुनमचन्द, राहूल-राजकपूर, दीपक-रतन, नवीन-फिरोज, विनोद-हीरालाल, षेखर-सोहनलाल, रवि-उंकार, विषाल-कैलाष, अमन-सुदेष, सुधीर-गोपाल व आनन्द-बाबुलाल बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 29 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन

(कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री
सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 29 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें
रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही
रतलाम 29 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग

की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टे षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500/- प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्श 100/- रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम द्दढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन

प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/29.04.2022/न.पा.निगम, रतलाम